

111

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

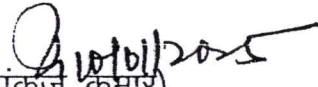
अधिसूचना

संख्या-3/विविध-10101/2013-23.....

पटना, दिनांक- 10/01/2025

विभागीय अधिसूचना संख्या..... 22 दिनांक..... 10/01/2025 के तहत निर्गत "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024" का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत, उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
NOTIFICATION

No-3/Misc.-10101/2013

Patna, Dated-----

In exercise of powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for amendment in Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014:-

1. Short title, extent and commencement :-

- (1) These Rules may be called as Bihar Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) (Amendment) Rules, 2024".
- (2) It Shall extend and be effective equally on all the Mufassil Offices under Public Health Engineering Department, Government of Bihar.
- (3) It Shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Substitution in the Sub-rule (ii) of Rule-02 of Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014:- Sub-rule (ii) of Rule-02 of the said rules shall be substituted by the following-

(ii) "Commission" means the "Bihar Technical Service Commission."

3. **Substitution in the Sub-rule (1) of Rule-05 of Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014:-** Sub-rule (1) of Rule-05 of the said rules shall be substituted by the following:

"(1) **Process of Recruitment-** All fresh recruitments shall be made in the basic category of pump operator/electrician separately, on the recommendation of the Bihar Technical Service Commission."

By order of the Governor of Bihar

Sd/-

(Pankaj Kumar)

Principal Secretary to Govt

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.01.2025 की बैठक में मद संख्या-14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013 - 22

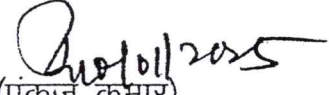
पटना, दिनांक- 10/01/2025

113

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

114

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
अधिसूचना

संख्या:-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली, "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के नियम-02 के उप नियम-(ii) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-02 के उप नियम-(ii) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, "बिहार तकनीकी सेवा आयोग।"

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के नियम-05 के उप नियम-(1) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-05 के उप नियम-(1) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(1) भर्ती की प्रक्रिया ।- सभी नयी भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा पर, पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन की मूल कोटि में की जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.01.2025 की बैठक में मद संख्या-14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-10101/2013 - 22

पटना, दिनांक- 10/01/2025

प्रतिलिपि- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1946 (श0)

(सं० पटना 24) पटना, सोमवार, 13 जनवरी 2025

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

10 जनवरी 2025

सं० 3/विविध-10101/2013-22—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2014" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-
 - यह नियमावली, "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा।
 - यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियमावली, 2014 के नियम-02 के उप नियम-(ii) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-02 के उप नियम-(ii) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 "(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, "बिहार तकनीकी सेवा आयोग।"
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियमावली, 2014 के नियम-05 के उप नियम-(1) का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-05 के उप नियम-(1) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
 "(1) भर्ती की प्रक्रिया ।- सभी नयी भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा पर, पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन की मूल कोटि में की जायेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

10 जनवरी 2025

सं० 3/विविध-10101/2013-23, विभागीय अधिसूचना संख्या 22, दिनांक 10 जनवरी 2025 के तहत निर्गत "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2024" का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत, उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

The 10th January 2024

No-3/Misc.-10101/2013-22— In exercise of powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for amendment in Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014:-

1. **Short title, extent and commencement :-**
 - (1) These Rules may be called as Bihar Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) (Amendment) Rules, 2024".
 - (2) It Shall extend and be effective equally on all the Mufassil Offices under Public Health Engineering Department, Government of Bihar.
 - (3) It Shall come into force from the date of publication in the official Gazette.
2. **Substitution in the Sub-rule (ii) of Rule-02 of Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014:-** Sub-rule (ii) of the said rules shall be substituted by the following-
 - (ii) " Commission" means the "Bihar Technical Service Commission."
3. **Substitution in the Sub-rule (1) of Rule-05 of Public Health Engineering Circle Level Pump Operator/Electrician Cadre (Recruitment and Service conditions) rules 2014.—**Sub-rule (1) of Rule-05 of the said rules shall be substituted by the following:

"(1) **Process of Recruitment.**— All fresh recruitments shall be made in the basic category of pump operator/electrician separately, on the recommendation of the Bihar Technical Service Commission."

By order of the Governor of Bihar
PANKAJ KUMAR,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, संचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 24-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>